

नियत का जाता है।

15/7/25

पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी अदालत  
वार. आकाज दिलवायी जाने के उपरान्त भी  
वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः  
वादी का वादपत्र अदम हाजरी अदम पैरवी  
में खारीज किया जाता है। पत्रावली फिलाल शुभा  
होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

*(Signature)*

राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाशाना जिला